खरीफ अभियान–2005

चावल की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए सलाह

लक्ष्य क्षेत्र – सभी चावल उत्पादक राज्य

---

1. "चावल सघनता की पद्धति" (एस.आर.आई) उपयुक्तता के अनुसार अपनाएं।
2. मृदा में जिंक तत्व की उपलब्धता के स्तर को ध्यान में रखकर जिंक सल्फेट का प्रयोग करें ।
3. 10 टन प्रति हैक्टर हरी खाद का प्रयोग करके नत्रजन, फास्फोरस एवं पोटाश की मात्रा कम कर सकते हैं ।
4. उत्पादन लागत कम करने के लिए ड्रमसीडर प्रयोग करें। ड्रमसीडर से गीली जुताई के 12–24 धंटे बाद अंकुरित बीजों की बुआई और कोनोवीडर से निराई चावल के अत्यधिक उत्पादन में सहायक है।
5. नत्रजन उर्वरकों की आवश्यकता कम करने के लिए क्लोरोफिल मीटर प्रयोग करें।
6. स्वस्थ मृदा और सतत चावल उत्पादकता के लिए 10 टन प्रति हैक्टेयर की दर से गोबर खाद का नियमित प्रयोग करें।
7. केवल सिफारिश किये गये संकर चावल की खेती करें।
8. अधिक पैमाने पर संकर चावल की खेती अपनाने के प्रति जागरूकता पैदा करें।
9. बासमती चावल की कटाई का समय एक महत्वपूर्ण धटक है जो सुगंध और गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। विलंब से कटाई करने पर दाने झड़ने लगते हैं और दानों में दरार पड़ जाती है इससे चावल निकालते समय वे टूट जाते हैं। अत्यधिक उपज और सुडौल चावल प्राप्त करने के लिए दानों में जब 20 से 22 प्रतिशत नमी हो तो फसल की कटाई करें।

खरीफ अभियान–2005

बाजरे की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए सलाह

लक्ष्य क्षेत्र – राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक

---

1. मानसून के प्रारम्भ में ही 4–5 कि.ग्रा. बीज प्रति हैक्टेयर की दर से बुआई करें या नर्सरी लगाएं और जब अगस्त में पौधे 3 सप्ताह के हो जाएं तो 50X10 से.मी. की दूरी पर उनका रोपण करें।
2. कीटनाशक दवाओं और रोगरोधी प्रमाणित/गुणवत्ता वाले उन्नत बीजों/अधिक उपज देने वाली किस्मों, जिनकी उपर्युक्त क्षेत्र के लिए सिफारिश की गई है, का प्रयोग करें।
3. वर्षा के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में एच.एच.बी.67, हरियाणा में एच.एच.बी.67 और एच.एच.बी.68 तथा दक्षिणी पश्चिमी गुजरात में जी.एच.बी.30 और जी.एच.बी.15 जैसी जल्दी पकने वाली उन्नत किस्मों को अपनाएं।
4. मृदा जांच पर निर्भर राजस्थान और गुजरात में 40 कि.ग्रा. नत्रजन+30 कि.ग्रा. फास्फोरस+30 कि.ग्रा. पोटाश प्रति हैक्टेयर और हरियाणा, म.प्र., महाराष्ट् और उ.प्र. में 60 कि.ग्रा. नत्रजन+40 कि.ग्रा. फास्फोरस+40 कि.ग्रा. पोटाश प्रति हैक्टेयर का प्रयोग करें। मूल खाद के रूप में सभी फास्फोरस और पोटाश और नत्रजन का 50% का प्रयोग करें और शेष 50% एन नत्रजन का भूमि में नमी होने की स्थिति में बुआई के 3 सप्ताह बाद प्रयोग करें।
5. नमी के बेहतर उपयोग के लिए उथली क्यारी और कुंड़ पद्धति को अपनाएं।
6. क्षेत्र के लिए की गई सिफारिश के अनुसार बीजों से उत्पन्न होने वाले रोगों पर नियंत्रण के लिए बुआई से पूर्व बीजों का उपचार

7. तालाबों के जरिए वर्षाजल को संग्रहित करें और लम्बे आन्तरायिक सूखे के समय फसल को जीवन रक्षक सिंचाई दें ।

8. वर्षा न होने की स्थिति में सूखे की गंभीरता के अनुसार पौधों का बिरलीकरण करें और मृदा में नमी के बचाव के लिए कम गहरी जड़ों का पौधरोपण करें।

9. समेकित कीट प्रबन्धन प्रणालियों विशेष रूप से क्षेत्र के सामान्य कीट एवं व्याधियों को सहन कर सकने वाली किस्मों को अपनाएं।

खरीफ अभियान–2005

गन्ना की उत्पादकता सुधारने के लिए सलाह

लक्ष्य क्षेत्र – सभी गन्ना उत्पादक राज्य

---

1. जिन राज्यों में पर्याप्त जल नहीं हैं वहां उन्हें माइको सिंचाई पद्वति अपनाने को प्राथमिकता देनी चाहिए।
2. विशेषतया महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में सफेद उली माहू के अनुवीक्षण और प्रबंधन पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।
3. गन्ने के टुकड़ों को 52 सेंटीग्रेड गरम जल में 1.5 धंटे से 2 धंटे तक डुबोना और तत्पश्चात मर्क्यूरियल कवकनाशी से उपचार करना अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक है।
4. गामा बी.एच.सी. (20 ई.सी.), 6.2 लीटर अथवा क्लोरोपायरीफोस 20% ई.सी. 5 लीटर प्रति हैक्टेयर की दर से 18 लीटर जल में घोल तैयार करके कूंड़/नाली में गन्ने के टुकड़ों के उपर छिड़कने से दीमक/प्ररोहवेधक की समस्या का सामना करने में सहायता मिलती है।

खरीफ अभियान–2005

जूट और अन्य फाईबर्स की उत्पादकता में सुधारने के लिए सलाह

लक्ष्य क्षेत्र – सभी जूट और अन्य फाईबर्स उत्पादक राज्य

---

1. जूट प्रौद्योगिक मिशन (जे.टी.एम.) अगले वर्ष प्रारम्भ होने की संभावना है। राज्य सरकार को जे.टी.एम. के प्रावधानों का लाभ उठाना चाहिए।

खरीफ अभियान–2005

सूरजमुखी की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए सलाह

लक्ष्य क्षेत्र – आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु

1. क्षेत्र के लिए स्वीकृत संकर और अत्यधिक पैदावार वाली किस्मों का प्रयोग करें।
2. कीटों, पत्तीनाशी, टिड्डों और सफेद मक्खियों से बचाव के लिए बीज को इमिडकलोप्रिड (गौकचो 70 डब्ल्यू.एस.) 5 ग्राम प्रति किग्रा बीज की दर से उपचारित करें। मृदुरोमिल फंफूदी ग्रस्त क्षेत्रों में बीज को मेटालेक्सिल से 6 ग्राम प्रति कि.ग्रा. बीज की दर से उपचारित करें।
3. बुआई के लिए संस्तुत दूरी पर मेंड और कूंड़ पद्वति अपनाएं।
4. संस्तुत उर्वरक की मात्रा के साथ साथ 15–20 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर की दर से सल्फर का प्रयोग करें।
5. समय पर खरपतवार नियन्त्रण करें ।
6. फसल बढ़वार की महत्वपूर्ण अवस्थाओं पर सिंचाई सुनिश्चित करें।
7. सूरजमुखी के खेतों में मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करें।

खरीफ अभियान–2005

अरहर की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए सलाह

1. कम अवधि वाली, जैसे प्रगति (आई.सी.पी.एल–87), एल–15, पूसा–992, जाग्रति, आईसीपीएल–1515, आई.सी.पी.एल–88039 किस्मों का प्रयोग करें।
2. बीज उपचारित करें।
3. अरहर+सोयाबीन (2:4/2:6), अरहर+उर्द/मूंग, अरहर +ज्वार (1:1) क्षेत्र विशेष के लिए फसल उपयुक्ता के अनुसार फसल पद्वति अपनाएं।
4. पत्ता मुर्झाव रोधी किस्मों जैसे आशा, मारूति इत्यादि का प्रयोग करें। पत्ता मुर्झाव ग्रस्त क्षेत्रों में मुर्झाव सुग्राहय किस्मों का प्रयोग न करें।
5. फंफूदनाशी के बाद जैव उर्वरकों (राइजोबियम और पी.एस.बी.) से बीज को उपचारित करें।
6. असिंचित क्षेत्रों में सोयाबीन (पछेती किस्म) के साथ मध्य फसल या मिश्रित फ़सल उगाएं।
7. वर्षा के मौसम में चावल और अरहर तथा वर्षा पश्चात मौसम में गेंहू और चना फसल चक अपनाएं।
8. विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल सेमेकित कीट प्रबंधन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करें।

बीज, उर्वरक, कीटनाशकों आदि जैसे आदानों को खरीदने के लिए दिशा निर्देश

---

1. खरीदने का स्थान – किसानों द्वारा केवल प्राधिकृत खुदरा विक्रेताओं या सरकारी एजेंसियों से ही आदानों को खरीदना चाहिए।
2. मूल्य का सत्यापन – आदान खरीदते समय किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों आदि के मूल्य को बैग्स पर मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य के साथ–साथ बोर्ड पर प्रदर्शित मूल्य से सत्यापित करना चाहिए।
3. कैश की रसीद/त्रण ज्ञापन–पत्र किसानों को मूल कैश/ऋण ज्ञापन पत्र लेना चाहिए और उस पर उल्लिखित नाम, श्रेणी और ब्रांड का सत्यापन करना चाहिए। विक्रेता को चुकाये गए दाम का सत्यापन करना चाहिए।
4. आदानों में कमी और गुणवत्ता में संदेह होने पर शिकायत के लिए किससे संपर्क किया जाए – किसान जिला कृषि अधिकारी/कृषि उपनिदेशक/राज्य कृषि निदेशक से शिकायत या संपर्क कर सकते हैं। वे विक्रेता के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में भी शिकायत कर सकते है।
5. आदान अच्छी गुणवत्ता के हैं यह सुनिश्चित करने के लिए किसान इसकी जांच करें कि बीज के बैग पर सरकारी एजेंसी का प्रमाणित बीज संबंधी टैग उचित रूप से बीज के बैग पर नत्थी हों।

उर्द/मूंग की उत्पादकता में सुधार के लिए सलाह

- क्षेत्र विशेष के लिए सुझायी गयी अत्यधिक पैदावार वाली किस्मों के प्रमाणित/उत्तम बीजों का प्रयोग करें।
- प्रचलित पीत मोसेक वाइरस (वाई एम वी) रोधी किस्मों का प्रयोग करें।
- केवल समकालिक परिपक्वता वाली अकेले एवं बीच बीच में उगाने के लिए उपयुक्त किस्मों का प्रयोग करें।
- जहां संभव हो गेहूं–मूंग जैसी फसल पद्धति को लोकप्रिय बनाएं।
- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, प0मध्य प्रदेश, उड़ीसा, प0बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में चावल के साथ ऊर्द–मूंग की खेती को प्रोत्साहित करें।
- बीज उपचार सुनिश्चित करें :–बीज को सोडियम मोलिबडेट 0.05 ग्राम प्रति लीटर जल में प्रति कि0ग्रा0 बीज की दर से और राइजोबियम इनोक्यूलम 5 ग्राम प्रति लीटर जल में प्रति कि0ग्रा0 बीज की दर से 4–6 घंटे तक उपचारित करें।

सोयाबीन की उत्पादकता में सुधार के लिए सलाह

लक्ष्य क्षेत्र : आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु, उ0प्र0, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और प0बंगाल।

- सोयाबीन की सुधरी किस्मों का प्रयोग करें।
- बीज को फफूंदनाशी (थीरम एवं कार्बनडेजिम 2:1 के अनुपात में 3 ग्राम प्रति कि0ग्रा0 बीज की दर से) और बाद में जैव उर्वरकों (राइजोबियम एवं पी एस बी/पी एस एम कल्चर) से उपचारित करें।
- समेकित माध्यम से संतुलित उर्वरक (एन पी के एस – 20:60 – 80:20:20 किग्रा0 प्रति हैक्टेयर की दर से) का प्रयोग करें।
- अनुकूल पौध संख्या सुनिश्चित करने के लिए बुआई के लिए केवल अंकुरण प्रमाणित सुनिश्चित बीजों का प्रयोग करें।
- मुख्य नहरी क्षेत्रों में बुआई जून के अन्तिम सप्ताह तक पूरी करें।
- मानसून के प्रारम्भ में विलम्ब होने पर विलंब बुआई की स्थिति में बीज दर 1.25 गुणा बढ़ा दें और संस्तुत सामान्य पौध दूरी (पंक्ति से पंक्ति 45 सें0मी0) को घटा कर 30 सें0मी0 कर दें।
- जहां पर रबी फसल उगाने की संभावना न हो वहां पर सोयाबीन के साथ बीच–बीच में अरहर की बुआई करें। अन्य परिस्थितियों में मध्य फसल के रूप में मक्का, बाजरा और ज्वार उगाएं ।
- खरपतवारों को समय से हाथ की निराई से दूर करें अथवा खरपतवार नाशी रसायनों से पौध बनने से पूर्व (फलूक्लोरालिन और ट्रिफलूरालिन) अंकुरण से पूर्व (एलाकोलर, क्लोमाजोन, पेनडीमेथालिन, मेटलाक्लोर) और अंकुरण के बाद शाकनाशी (ईमाजेथापयर, किज़ालोफोप, इथाईल) से दूर करें।

मूंगफली की उत्पादकता में सुधार के लिए सलाह

लक्ष्य क्षेत्र : आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और प0बंगाल ।

सीमित जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों में अग्रिम बुआई/मानसून से पूर्व बुआई

अंचल/क्षेत्र विशेष के लिए संस्तुत मूंगफली की सुधरी किस्मों के उत्तम बीजों का प्रयोग करें

बीजोपचार करें

- राइजोबियम और फासफेट माइक्रो अवयवी घोल से बीजोपचार करें।
- बीजजनित फफूंदी रोग जनक को नियंत्रित करने के लिये बीज को कार्बनडेजिम घोल 2 ग्राम प्रति किग्रा0 बीज की दर से अथवा मंकोजेब 3 ग्राम प्रति किग्रा0 बीज की दर से अथवा ट्रिकोडरमा 4 ग्राम प्रति किग्रा0 बीज की दर से उपचारित करें।
- मृदाजनित रोग और जड़ सड़न के नियंत्रण के लिए 500 किग्रा0 प्रति हैक्टेयर की दर से एरंड की खली का प्रयोग कर मृदा को सुधारें।
- फीलियट फंगल रोग नियंत्रण के लिए नीम के बीज का रस (5 प्रतिशत) अथवा कच्चा नीम का तेल (2 प्रतिशत) टी पोल में मिलाकर छिड़काव करें।

द्वितीयक और सूक्ष्मपोषक तत्वों का उपयोग

- जिंक की कमी वाली मृदा में भूमि सुधार के लिए 10 किग्रा0 प्रति हैक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट का 0.2 प्रतिशत फोलिएर स्प्रे करें।
- हालो हार्ट से बचने के लिए बिहार और कर्नाटक के क्षेत्रों में बोरोन की कमी वाली मृदा में 2.5–5.0 किग्रा0 प्रति हैक्टेयर की दर से बोरोक्स का प्रयोग करें।
- गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में लौह की कमी वाली मृदा में फेरस ईडीटीए (नियमित बढ़वार के लिए) अथवा फेरस सल्फेट अथवा 0.5 प्रतिशत फेरस सल्फेट का फोलियर स्प्रे करके मृदा को उपचारित करें।
- सल्फर की कमी वाली मृदा में संस्तुत उर्वरकों के साथ–साथ सल्फर का प्रयोग करें।
- बीमारियों एवं कीटों से बचाव के लिए समेकित कीट प्रबंधन उपायों को अपनाएं।
- आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के लाल मृदा वाले क्षेत्रों में तथा महाराष्ट्र के मध्यम काली मृदा वाले क्षेत्रों में मेड़ बुआई/चौड़ा कूंड़ तली, कर्णीय बुआई पद्धति अपनाएं।
- गर्मी में कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी घाटी क्षेत्रों, गुजरात के कच्छ–भुज क्षेत्रों और राजस्थान के आईजीएनपी क्षेत्रों में पोलीथीन मल्च प्रौद्योगिकी अपनाएं।
- शुष्क भूमि में अरहर, सीसमें और एरण्ड के साथ मध्य फसल के रूप में उगाएं।

कपास की उत्पादकता में सुधार के लिए सलाह

लक्ष्य क्षेत्र

1. उत्तर क्षेत्र के राज्य (राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश)
2. मध्य क्षेत्र के राज्य (महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश)
3. दक्षिण क्षेत्र के राज्य (आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक।
4. अन्य राज्य (उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा)

- मध्य और दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों में जहां कपास बारानी फसल है, वहां गहरी जोताई की सिफारिश की जाती है ताकि बारहमासी खरपतवार को 4–5 वर्ष में एक बार नष्ट किया जा सके। खेत में मानसून के आने से पहले हैरो से कई बार जोताई करनी चाहिए।
- खेती के लिए अधिक उपज देने वाली, रोग और कीटरोधी उन्नत किस्मों को बढ़ावा दें। सभी कपास उत्पादक राज्यों में जी हिरसुतुम और जी अरजेरियम किस्में उगाई जाती हैं जबकि जी हरबेसियम किस्में गुजरात और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में उगायी जाती है। इसलिए संस्तुत जीन रूप वाली किस्में उगायी जानी चाहिए।
- बारानी क्षेत्रों में विशेषतया संकर किस्मों वाले बीजों की प्रायः सिफारिश की गई। दूरी पर हाथ से बुआई करें। यह पद्धति उचित पौध संख्या, समान दूरी सुनिश्चित करती है और महंगे बीजों विशेषतया बीटी कपास के बीजों की बचत करती है।
- कपास की समय से बुआई करनी चाहिए। उत्तरी सिंचित क्षेत्रों में मई के मध्य में, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के विदर्भ और खण्डेश के मध्य सिंचित क्षेत्रों में सिंचित बुआई मई के तृतीय सप्ताह में करें। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात सहित बारानी क्षेत्रों में बुआई मानसून आने के साथ करें। दक्षिण क्षेत्रों में सिंचित कपास की बुआई घटप्रभा में 15 अप्रैल से 15 मई

तक, कर्नाटक के तुंगभद्रा नहरी क्षेत्रों में 15 जुलाई से 15 अगस्त तक और तमिलनाडु के शीत सिंचित क्षेत्रों में अगस्त के दौरान बुआई करें। दक्षिण क्षेत्रों के बारानी क्षेत्रों में फसल की बुआई कर्नाटक में मानसून शुरू होने पर और आंध्र प्रदेश के गुंतूर, प्रकाशम और कृष्णा जिलों में 15 जुलाई से 15 अगस्त तक करें। तमिलनाडु के काली मृदा वाले क्षेत्रों में कपास की बुआई सितम्बर के प्रथम सप्ताह तक करें।

- प्रयोग किए गए पोषक तत्वों के भरपूर लाभ के लिए एनपीके की संतुलित खुराक का प्रयोग करें।,
- किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पोषक तत्वों की कमी वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करें। कपास क्षेत्रों में जिंक की कमी सबको मालूम है। यदि पूर्व फसल में प्रयोग न किया गया हो तो जिंक सल्फेट का 25 किग्रा0 प्रति हैक्टेयर की दर से प्रयोग करें।
- क्षेत्र विशेष के लिए सिफारिश किये गये केवल प्रमाणित/ गुणवान बीजों की किस्मों/ संकर किस्मों का प्रयोग करें। संकर किस्मों की एफ 2 और उन्नत जनरेशन का प्रयोग न करें।
- कपास में बहुत से कीड़े और बीमारियां लगती हैं। इसलिए कपास पत्ती मुड़न वाइरस (सी एल सी वी) रोधी किस्मों/संकर किस्मों का प्रयोग करें।
- कीड़ा, नाशीजीव और बीमारियों से बचाव के लिए समेकित कीटनाशी प्रबंधन (आईपीएम) मॉडयूल/सिफारिशों को अपनाएं। जिन क्षेत्रों में कीटनाशी रोधी कीड़ा विकसित हो जाए वहां पर कीटनाशी रोधी (आई आर एम) मॉडल अपनाएं

खरीफ अभियान 2005

ज्वार (सोरगम) की उत्पादकता में सुधार के लिये सलाह

लक्ष्य क्षेत्र : महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा ।

ज्वार की बुआई के लिये जुलाई का प्रथम सप्ताह या मानसून की पहली बारिश के तुरंत बाद का समय ज़्यादा अनुकूल है।

- नमी का अधिकतम उपयोग करने और अधिक उपज के लिये नाली बनाकर मेडों पर बुआई पद्धति अपनाएं।
- क्षेत्र के लिये सुझायी गई संकर/अच्छी उपज वाली किस्मों के प्रमाणित गुणवत्ता वाले बीजों का 8 किग्रा0 प्रति हैक्टेयर की दर से उपयोग करें।
- बीज जनित रोगों के नियंत्रण के लिये बोने से पूर्व बीजों का क्षेत्र के लिए सुझायी गयी फफूंदीनाशक दवा एवं ट्रिकोडर्मा से उपचार करें।
- ज्वार के लिये प्रति हैक्टेयर 80 किग्रा0 नत्रजन और 40 किग्रा0 पोटाश अनुशंसित हैं। 50 प्रतिशत नत्रजन और पूर्ण पोटाश बुआई के समय एवं शेष 50 प्रतिशत नत्रजन बुआई के तीस दिनों के पश्चात उपयोग करें।
- अधिक प्राप्ति और जोखिम से बचने के लिये क्षेत्र के लिये सुझायी गयी अरहर/मूंग/उड़द अथवा किसी अन्य फसल को अंतराफसल के रूप में उगायें।
- तालाबों के ज़रिए वर्षा जल का संरक्षित करें और लम्बे आन्तरायिक सूखे के समय फसलों को जीवन रक्षक सिंचाई दें ।

- वर्षा न होने की स्थिति में सूखे की गंभीरता के अनुसार पौधों का विरलीकरण करें और मृदा में नमी के बचाव के लिये पौध रोपण करें।
- समेकित कीट प्रबन्धन प्रणालियां विशेष रूप से कीटनाशक दवाओं और क्षेत्र के सामान्य रोगों के संदर्भ में जो किस्मों के अनुकूल हों, को ही अपनायें और क्षति से बचाव के लिये शीघ्र रोपण करें।

कृषि उपकरणों एवं मशीनों के लिए सलाह

जीरो टिल बीज–सह–उर्वरक ड्रिल का प्रयोग करें

- मृदा संरचना को अस्त–व्यस्त किए बिना उपलब्ध नमी का सर्वोत्तम उपयोग।
- समय की बचत जिससे उत्पादन लागत में लगभग 1700.00 रुपये प्रति हैक्टेयर की बचत।

रोटावेटर का प्रयोग करें

- एक बार में ही बीज की क्यारी तैयार करें बशर्ते कि मृदा नमी पर्याप्त मात्रा (लगभग 10 प्रतिशत) में हो।
- बीज के लिए क्यारी तैयार करने में परम्परागत पद्धति की तुलना में 30–35 प्रतिशत समय की बचत करें।
- संचालन लागत में 20–25 प्रतिशत की कमी ।

बेड प्लांटर का प्रयोग करें

- बीज और उर्वरक में लगभग 25 प्रतिशत की बचत।
- सिंचाई जल में 25–30 प्रतिशत की बचत।
- खरपतवार उपज पर नियंत्रण।

उन्नत/संकर बीजों के उपयोग से उत्पादन के लिए सुझाव

उचित मूल्य पर उन्नत आदान (बीज) खरीदें

- किसान उचित मूल्य पर उन्नत किस्म के बीजों को राज्य कृषि विभाग के विक्रय डिपो/बीज विक्रय केन्द्रों, राज्य बीज निगम के अधिकृत बीज डीलरों, राष्ट्रीय बीज निगम, एस एफ सी आई और निजी बीज कम्पनियों अथवा राज्य कृषि विश्व विद्यालयों के विक्रय केन्द्रों से खरीद सकते हैं।

असली आदानों की पहचान के लिए सुझाव

- किसान बीज के थैलों पर लगे लेबल/टैग से असली आदानों की पहचान कर सकते हैं।
- यदि बीज के पात्र पर दूधिया हरा लेबल लगा हो तो इसे लेबल लगा बीज कहते हैं। इस पर उत्पादक के हस्ताक्षर के साथ कम संख्या अंकित होनी चाहिए।
- यदि बीज के पात्र पर दूधिया हरा के साथ सफेद टैग लगा हो तो इसे

- यदि बीज के पात्र पर दूधिया हरा के साथ आसमानी नीला रंग का टैग लगा हो तो इसे प्रमाणीकृत बीज कहते हैं। इस पर बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के हस्ताक्षार के साथ क्रम संख्या अंकित होनी चाहिए।
- बीज इण्डियन मिनिमम बीज प्रमाणीकरण मानक के अनुसार प्रमाणीकृत हो।
- लेबल पर निम्नलिखित अंकित होना चाहिए

1. **भार की शुद्ध मात्रा का विवरण और मीटरी पद्धति के अनुसार हो।**

2- जांच की तिथि

3- यदि बीज पात्र में हो और उपचारित हों

क. बीज उपचारित होने संबंधी विवरणी प्रदर्शित हो।

ख. आमतौर पर स्वीकृत रसायन अथवा उप रसायन या प्रयोग किए गए द्रव्य का नाम।

ग. यदि उपचार के लिए प्रयोग किया गया रसायन का अंश बीज के साथ मौजूद हो और मानव अथवा अन्य मेरूदण्डी जीव के लिए हानिकारक हो तो एक चेतावनी जैसे 'खाद्य, चारा अथवा तेल के लिए प्रयोग न करें'। पारायुक्त और इसी तरह के जहरीले पदार्थ के लिए लेबल पर चेतावनी हेतु 'ज़हर' शब्द मोटे अक्षर में लाल रंग में लिखा हो।

4. बिकी करने वाले विकय हेतु देने वाले अथवा बीज की आपूर्ति करने वाले और जो इसकी गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार हों, का नाम और पता।
5. अधिनियम के खण्ड 5 में अधिसूचना के अनुसार बीज का नाम।

- किसान लेबल पर बीज अंकुरण की न्यूनतम क्षमता, बीज की वास्तविक शुद्धता, बीज की अनुवंशिक शुद्धता, बीज में नमी की मात्रा, जांच की तिथि, खरीद/उपयोग की तिथि को वैद्यता अवधि और बीज की ग्राहयता देख सकता है जिससे किसान को अपनी पसंद का बीज चयन करने में सहायता मिलेगी।
- प्रमाणीकृत बीज को टैग लगाने से पहले बीज को अधिसूचित बीज जांच प्रयोगशाला में जांच किया जाता है। बीज की अंकुरण क्षमता जानने के लिए किसान अपने बीज को बीज जांच प्रयोगशालाओं में भुगतान करके बीज नमूना की जांच करवा सकता है।

विशेष गुणवत्ता वाले कुछ आदानों के बारे में सुझाव

- बीज पात्र से लगे आसमानी नीले रंग के टैग का अर्थ है कि बीज राज्य

- किसान बीज की वास्तविक गुणवत्ता दर्शाने वाले नीले रंग के टैग/दूधिया हरा लेबल से बीज की अंकुरण प्रतिशतता और इसकी आनुवंशिक शुद्धता के बारे में जान सकता है।
- किसान बीज पात्र पर लगे टैग/लेबल से उपचारित रसायन के बारे में भी जान सकता है। जिससे इसे खेत में बोने पर होने वाले बीज जनित रोगों से बचाव कर सकता है।
- कपास बीज के संबंध में यदि लेबल पर बी.टी दर्शाया गया है तो यह बीज कपास पीत और अमेरिकी डोडा कीड़ा रोधीहै।

आदानों के मूल्यों और गुणवत्ता के संबंध में ठगी से किसानों का बचाव

- किसान बीज थैला/बीज पात्र पर लगे लेबल से विक्रेता द्वारा वसूल किए जा रहे मूल्यों और अधिकतम खुदरा मूल्यों की जांच कर सकता है। यदि विक्रेता बीज थैला/बीज पात्र पर प्रदर्शित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक वसूल कर रहा है तो किसान अधिकतम खुदरा मूल्य में अधिक भुगतान के लिए मना कर सकता है। सदैव रोकड़ मेमो/रोकड़ रसीद लेकर ही बीजों को खरीदें जिससे जब कभी संबंधित बीज खेत में अंकुरित न हो तो क्षतिपूर्ति के लिए दावा करने में प्रयोग किया जा सके। बीज खरीदते समय सदैव जांच करें कि बीज खरीदने/उपयोग करने की तिथि को बीज की वैधता/समाप्ति अवधि के अन्दर हो। यह भी सलाह दी जाती है कि बीज को खेत में बोने से पहले किसान बीज को थोडी सी मात्रा में रेत में बुआई करके जांच कर सकते हैं जिससे बीज की अंकुरण प्रतिशतता सुनिश्चित की जा सके। बीज गुणवत्ता अर्थात बीज अंकुरण कमी, भौतिक कमी और आनुवंशिक कमी होने पर किसान तुरंत बीज निरीक्षक अथवा स्थानीय विस्तार अधिकारी अथवा क्षेत्र विकास अधिकारी अथवा जिला कृषि अधिकारी अथवा उपभोक्ता फोरम में डीलर के विरुद्ध लिखित शिकायत कर सकता है और बीज आयातक बीज के नमूना को अधिसूचित बीज जांच प्रयोगशाला में प्रमाणन टैग/दूधिया हरा लेबल के अनुसार बीज की गुणवत्ता जाचं के लिए भेज सकता है जिससे बीज विक्रेता/उत्पादक के विरुद्ध क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, के लिए दण्डात्मक कार्रवाई की जा सके।

आदानों के अभाव/अनुप्लब्धता अवधि के दौरान किसानों के लिए दिशा निर्देश

- किसान प्रमाणिक बीज की उपलब्धता के लिए स्थानीय कृषि विस्तार अधिकारी अथवा खण्ड विकास अधिकारी से तुरंत सम्पर्क करें। किसान जिलाधीश/जिला न्यायधीश से भी सम्पर्क और सूचित कर सकते हैं। किसान आवश्यक किस्म का बीज अपने क्षेत्र के उन्नत कृषकों से भी प्राप्त कर सकते हैं।
- प्रमाणित/उन्नत किस्म के बीज का उपयोग उत्पादन को लगभग 10–20 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है। धान, गेहं, रागी, दालें एवं तिलहन जैसे स्व

फसलों के बीज को तीन वर्ष में एक बार बदलने के महत्व के साथ साथ आनुवंशिक सक्षमता और बीज की ओजस्विता तथा इसके उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी। संकर बीज वाली फसलों का बीज प्रतिवर्ष खरीदना चाहिए।

- **बुआई पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों का अनुसरण करें जैसे**

1. बुआई/पौध रोपाई के लिए स्वीकृत गहराई।
2. मृदा में अनुकूलतम नमी की मात्रा।
3. पंक्तियों के बीच की दूरी।
4. पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी।
5. उर्वरक की स्वीकृत मात्रा।
6. उर्वरक देने का समय
7. कृषि से संबंधित अन्य पद्धतियां और
8. पौध संरक्षण के उपाय।

कृषि एवं सहकारिता विभाग
विस्तार निदेशालय
(कृषि सूचना इकाई)

खरीफ उत्पादन 2005 के लिए महत्वपूर्ण सुझाव – ~~प्रिंट मीडिया डिजाइन के लिए~~

> कृषि संबंधी सभी समस्याओं की विशेषज्ञ सलाह के लिए प्रातः 6 बजे से अपराह्न 10 बजे के बीच किसान कॉल सैन्टर के निःशुल्क नम्बर 1551 पर सम्पर्क करें।

- सम्बन्धित क्षेत्र के लिए स्वीकृत संकर अथवा उन्नत किस्म के केवल प्रमाणित/उत्तम बीजों का ही प्रयोग करें।
- बोआई से पूर्व बीजों को संस्तुत के अनुसार फफूंदनाशी एवं अन्य जैव उर्वरकों से उपचारित करें।
- नमी के बेहतर उपयोग और जल भराव से बचने के लिए मेंड और कूंड़ बोआई पद्धतियों को अपनाएं।
- तालाबों के जरिए वर्षा जल को संग्रहित करें और लम्बी अवधि के सूखा के दौरान फसल बचाव सिंचाई दें।
- मृदा नमी क्षरण को कम करने के लिए पलवार लगाएं।
- शुष्क भूमि वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को अपनाएं।
- प्रयुक्त पोषक तत्वों से सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए एनपीके की संतुलित मात्रा प्रयोग करें।
- जिंक कमी वाली मृदा में जिंक सल्फेट का प्रयोग करें।
- मृदा जांच रिपोर्ट और समेकित पोषक तत्व प्रबन्धन के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करें।
- मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए जहां तक संभव हो अधिक से अधिक कम्पोस्ट खाद का उपयोग करें।
- खरपतवारों को हाथ से या मशीनी निराई से या खरपतवारनाशक प्रयोग कर उसके बढ़ने से पूर्व अथवा बढ़ने तक समय पर नियंत्रित करें।
- प्रत्येक फसल के लिए निर्धारित पैकेज के अनुसार समेकित कीट प्रबंधन को अपनाएं।
- अधिक उपज लेने और जोखिम से बचने के लिए संस्तुत अन्तर फसल उगाएं।

प्रसारित होने वाले कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों को निरंतर देखें/सुनें।

- किसी भी विशेषज्ञ सलाह अथवा दिशा निर्देश के लिए स्थानीय कृषि विज्ञान केन्द्रों के कृषि विशेषज्ञों से सम्पर्क करें।
- गुणवान बीजों, उर्वरकों एवं कीटनाशियों इत्यादि को केवल प्राधिकृत डीलरों से विधिवत रसीद लेकर ही खरीदें।
- पैकेट अथवा थैले की जांच करें कि वह ठीक हो और वैधता तिथि समाप्त न हुई हो। ये भी देखें कि भुगतान के लिए कही गई राशि पैकेट पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक तो नहीं है।

(~~अलग विशिष्ट भाग में देने के लिए~~ –उन्नत बीजों, समय पर बोआई, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग और अनुकूलतम सिंचाई से अत्यधिक पैदावार सुनिश्चित करें।)